



कार्यालय-प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तरमहाविद्यालय, कवर्धा
(अग्रणी महाविद्यालय) जिला-कबीरघाम, छत्तीसगढ़
Email:govtpgcollege.kawardha@gmail.com

क्र. 329 / स्था./अतिथि व्याख्याता/2024

कवर्धा, दिनांक 06-12-24

// अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप //

कार्यालय आयुक्त उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नया रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-54/स्था/2020/38-1 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के परिपालन में आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, में निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 12.12.2024 को समय शाम 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा:- अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		प्राध्यापक
01	सूचना प्रौद्योगिकी	01

टीप:- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी-एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 12.12.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 14.12.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर www.pgcollegekawardha पर प्रकाशित किया जायेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 16.12.2024 तक होगी।
- अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 17.12.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने में समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
- आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

- आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता कार्यालय प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला- कबीरधाम (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
- इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
- संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधिया, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।



प्राचार्य



आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
जिला - कबीरधाम(छ0ग0)